(1901)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक 3598/28/76/एक/2018–19 दिनांक 20 सितम्बर 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–लखनऊ।

विषय : **अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत नगरीय सुविधाएं (एस0सी0पी0) योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधायें (एस0सी0पी0) योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100099245715	IFSC Code HDFC0001112	155.830

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	लखनऊ	एससीपी	न0 नि0 लखनऊ	मैथलरीशर गुप्ता वार्ड के अन्तर्गत मलिन बस्ती बस्तौली में श्री रामचन्द्र लाइट हाउस से छेदा के मकान तक एवं राजेन्द्र के मकान होते हुये शशिकान्त के मकान तक, राजाराम व रामधर के मकान तक, य0यू0 इलेक्ट्रानिक्स से जे0पी0 के मकान तक, पी0एन0बी0 ए0टी0एम तक शकील के घर से हिन्द फैब्रीकेटर के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नालियों का निर्माण कार्य।	20.863
2	लखनऊ	एससीपी	न0 नि0 लखनऊ	इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के अन्तर्गत मलिन बस्ती जरहरा में राधेयाम के मकान से विशुदयाल के मकान से जगदीश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.041
3	लखनऊ	एससीपी	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत फैजुल्लागंज गांव में प्राइमरी स्कूल से गुड्डू यादव व राजेश, अवधेश व शम्भू मौर्य तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	4.951
4	लखनऊ	एससीपी	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत फैजुल्लागंज गांव में शंकर मौर्या के घर से मुख्य मार्ग व संलग्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	8.243
5	लखनऊ	एससीपी	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत द्वारिकापुरी में माहेश्वरी स्टोन के अमन एवं दिलीप शुक्ला के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	9.889
6	लखनऊ	एससीपी	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत हरिओम नगर में जाहिद के मकान से बाजपेई के मकान से मुन्नी देवी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का	12.247

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
7	लखनऊ	**एससीपी**	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत गायत्री नगर रामलीला मैदान से मुर्गी फार्म तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	8.354
8	लखनऊ	**एससीपी**	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत गायत्री नगर राजेश यादव के मकान से अशोक दीक्षित व शुक्ला के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	6.277
9	लखनऊ	**एससीपी**	न0 नि0 लखनऊ	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत गायत्री नगर राजीव से मो0 फैज व संलग्न गलियों में नाली व संलग्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	4.813
10	लखनऊ	**एससीपी**	न0 नि0 लखनऊ	शीतलादेवी वार्ड के अन्तर्गत कोरियाना मोहल्ले की विभिन्न गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	17.496
11	लखनऊ	**एससीपी**	न0 नि0 लखनऊ	छुइयापुरवा में मिनाक्षी हास्टल, महादेव व गुरू प्रसाद व पप्पू से जगदीश तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	32.007
12	लखनऊ	**एससीपी**	न0 नि0 लखनऊ	त्रिवेणी नगर वार्ड के अन्तर्गत बहार खॉ कालोनी में अशरफ जहॉ महमूद अली एवं ब्रहम नगर की आन्तरिक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	24.649
	योग				**155.830**

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

190/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
'SUDA'
7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक